क्रम-संख्या–71

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 11 मार्च, 2026

फाल्गुन 20, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 1 / 2026 / 191 / सैंतालिस-का-1–2026-13(5)-1998

लखनऊ, 11 मार्च, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–17

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 21 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
21(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो।	21(1) कोई सरकारी कर्मचारी, न तो कोई पूंजी इस प्रकार स्वयं लगायेगा और न ही अपनी पत्नी या अपने परिवार के किसी सदस्य को लगाने देगा, जिससे उसके सरकारी कर्तव्यों के परिपालन में उलझन या प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

लगाई हुई पूंजियां

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। **उदाहरण** कोई जिला जज, उस जिले में जिसमें वह तैनात है, अपनी पत्नी या अपने पुत्र को कोई सिनेमा गृह खोलने, या उसमें कोई हिस्सा खरीदने की अनुमति नहीं देगा।	(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई प्रतिभूति या विनिधान उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वरूप की है अथवा नहीं, तो उस पर सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। (3) यदि कोई सरकारी कर्मचारी एक कैलेण्डर वर्ष में छह माह के मूल वेतन से अधिक की रकम स्टॉक, शेयर अथवा अन्य लगाई हुई पूंजियों (विनिधान) में विनिहित करता है तो ऐसी लगाई हुई पूंजियों (विनिधान) की सूचना समुचित प्राधिकारी को दी जाएगी।

नियम 24 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 24 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति 24(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय–विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिएः किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा। (3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रुप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय–समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।	24(2) कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय–विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिएः किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता (Agent) के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा। (3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदोपरान्त हर एक वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रुप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय–समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।

आज्ञा से,

एम0 देवराज,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1/2026/191/XLVII-ka-1–2026-13(5)-1998, dated March 11, 2026:

No. 1/2026/191/XLVII-ka-1–2026-13(5)-1998

Dated Lucknow, March 11, 2026

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following Rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956:

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS CONDUCT (AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement

1-(1)These Rules may be called "The Uttar Pradesh Government Servants Conduct (Amendment) Rules, 2026".

(2) They shall come into force at once.

Substitution of Rule 21

2- In the Uttar Pradesh Government Servants Conduct Rules, 1956, hereinafter referred to as the said rules, *for* existing Rule 21 set out in Column-1 below, the rule set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
21(1) No Government servant shall make or permit any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of official duties.	21(1) No Government servant shall make or permit any member of his family to make any investment likely to embarrass or influence him in the discharge of official duties.
(2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to in sub-rule (1) the decision of the Government thereon shall be final.	(2) If any question arises whether a security or investment is of the nature referred to in sub-rule (1) the decision of the Government thereon shall be final.
Illustration	(3) If a Government servant invests an amount exceeding six months' basic pay in stocks, shares or other investments in a calendar year, such investment shall be reported to the appropriate authority.
A District Judge shall not permit his wife or son, to open a cinema house or to purchase a share therein, in the district where he is posted and if he is transferred to a district where a member of his family has already made such an investment, he shall immediately inform his superior authority.	

Investment

Amendment of Rule 24

3- In the said rules, in existing Rule 24 *for* existing sub-rule (2) and sub-rule (3) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
24(2) A Government servant who inters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for one month whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority:	24(2) A Government servant who inters into any transaction concerning any movable property exceeding in value, the amount of his basic pay for two months whether by way of purchase, sale or otherwise, shall forthwith report such transaction to the appropriate authority:

Movable, Immovable and valuable property

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.	Provided that no Government servant shall enter into any such transaction except with or through a reputed dealer or agent of standing, or with the previous sanction of the appropriate authority.
(3) At the time of first appointment and there after at intervals of five years, every Government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property owned, acquired or inherited by him or hold by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or any way or dependent upon him. Such declaration should state the full particular of the property, shares and other investment.	(3) At the time of first appointment and there after each year, every Government servant shall make to the appointing authority through the usual channel, a declaration of all immovable property owned, acquired or inherited by him or hold by him on lease or mortgage, and of shares and other investments, which may, from time to time be held or acquired by him or by his wife or by any member of his family living with, or any way dependent upon him. Such declaration should state the full particular of the property, shares and other investment.

By order,

M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 411 राजपत्र–2026–(1263)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 सा0 कार्मिक–2026–(1264)–1000 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

411 RPH 2026 (Karmik-1) (Niyamavali) data 1e